न्यायालय उपजिलाधिकारी, सरधना जिला मेरठ।

अ0 धारा 143 ज0वि0अधि0

वाद संख्या 06

प्रकाश एजूकेशनल चैरिटेबिल बनाम उ0प्र0सरकार

ग्राम पावलीखास परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 में कु0 मनिका शर्मा पुत्री श्री के0डी0 शर्मा निवासी 101 गोविन्दपुरी कंकरखेडा मेरठ द्वारा सचिव प्रकाश एजूकेशनल चैरिटेबिल एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट 101 गोविन्दपुरी कंकरखेडा मेरठ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर आरम्भ हुई है। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि ग्राम पावलीखास के खाता संख्या 00066 खसरा नम्बर 1615/9 क्षेत्रफल 2.5420हे0 व खसरा नम्बर 1633/2 रकबा 1.5050हे0 कुल रकबा 4.0470हे0 का वह संकमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है। उक्त गाटा आबादी से मिला हुआ है तथा मौके पर 0.5000हे0 भूमि में आबादी बनी हुई है। उक्त गाटा नम्बर को आबादी में प्रयोग होने के कारण आबादी घोषित की जाये। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से जांच करायी गयी।

तहसीलदार सरधना ने अपनी आख्या दिनांक 11-11-11 में उल्लेख किया है कि ग्राम पावलीखास के खाता संख्या 00066 खसरा नम्बर 1615/9 क्षेत्रफल 2.5420हे0 व खसरा नम्बर 1633/2 रकबा 1.5050हे0 कुल रकबा 4.0470हे0 का वादी संकमणीय भूमिधर दर्ज है। स्थल पर 0.5000हे0 भूमि का उपयोग शिक्षण कार्य में हो रहा है। भूमि का उपयोग पशुपालन, कुक्कुट पालन मत्स्य पालन बागवानी में नहीं हो रहा है। 1359 फसली के अनुसार उपरोक्त भूमि ग्रामसभा व धारा 132 की नहीं है। मौके पर दीवार बनी है।उपरोक्त भूमि पुर्नवास पटटे की नहीं है अत: ज0वि0अधि0 की धारा 143 के नियम 135 के अन्तर्गत आबादी घोषित करने हेतु आख्या सस्तुति सहित प्रेषित है।

न्यायालय में उभय पक्षो को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में उक्त भूमि का उपयोग आबादी में होना बताया गया है तथा तहसीलदार द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति आबादी घोषित करने के लिये की गयी है। अत: तहसीलदार की आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विशलेषण अनुसार तहसीलदार की आख्या स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पावलीखास की खाता संख्या 00066 खसरा नम्बर 1615/9 क्षेत्रफल 2.5420हे0 व खसरा नम्बर 1633/2 रकबा 1.5050हे0 कुल रकबा 4.0470हे0 में से 0.5000हे0 भूमि शिक्षण कार्य मे उपयोग होने के कारण गैर कृषि प्रयोजन/शैक्षणिक कार्य हेतु घोषित किया जाता हैं। आदेश की प्रति उपनिबन्धक सरधना को प्रेषित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक -11-11-11

उपजिलाधिकारी

सरधना

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

उपजिलाधिकारी

सरधना